

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
वमुकद में ईव्दाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां सहित
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया



तहसील अधिकारी :- राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)

करण संख्या :- 53/2020

वादपत्र अं. धारा 88/53 आर.टी.ए.

बलवीर कौर पुत्री इन्द्र सिंह पत्नी गुरनाम सिंह जाति जटसिख सा. बोलावाली तहसील संगरिया
जिला हनुमानगढ़

वादी

बनाम

1. सुखदेव सिंह पुत्र रामचन्द्र सिंह पुत्र इन्द्र सिंह जाति जटसिख सा. भगतपुरा तहसील संगरिया
जिला हनुमानगढ़

2. शेरसिंह पुत्र निधान सिंह जाति जटसिख सा. भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
3. राजरव, राजरव, संगरिया



- प्रतिवादीगण

दिनांक :- 09.05.2024

राजरव मुकदमा आज मुझ राकेश कुमार मीना आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल
हमारे बहाजरी श्री नक्षत्र सिंह सिद्धू वकील वादीगण मिन जामिन मुदायला पेश होकर
दिया जाता है एव तहसीलदार भू.अ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री
मानुसार दी जाती है:-

क 6 एन.टी.डब्ल्यू के खाता सं. 07/06 रकवा 0.330 है. में मौका पर काश्त अनुसार भूमि:-

1. बलवीरकौर पत्नी गुरनाम सिंह जाति जटसिख सा. बोलावाली की काश्त प.नं. 175/107 मु.
नं. 05 किला नं. 5/4/0.089, 5/5/0.013, 6/1/0.228 कुल 0.330 है. नहरी

अत. उक्त निर्णय बावत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो
तहसीलदार संगरिया की अनुशषा क आधार पर उक्तानुसार राजरव रिकार्ड में अंकन किये
जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार भू.अ.संगरिया के पत्र क्रमांक:-प्राडिक्री/भू.अ.
/23/1268 दिनांक 24.05.2023 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का आवश्यक
भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

नोट :- यदि हक हिरसा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के
अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

मिज मुक्लिक वावत 100/- खर्चा मुकदमे के मय शूद वा
प्रायदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी तक को अदा करे।

वसूल मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 09.05.2024 को खुले
न्यायालय में जारी किया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया